



आदिवासी भाषाये 8वीं अनुसूची मे!

डॉ. के. एम. मैत्री

प्राध्यापक

जनजातीय अध्ययन विभाग

कन्नड विश्वविद्यालय, हंपी, कर्नाटक

अक्षर के बल से इतिहास को फिर से पढ़ने से ऐसे समझमे आता है कि अब तक हमारे द्वारा हमारे जीवन का नजदीकी और तर्क को मिलने वाले मूल्यों को नाश करने का प्रयास किया गया है। जो लोग सहजीवन, दया और करुणा को ही धर्म मानते थे उनका जीवन का सांस्थिक उद्देश को, उनके मूल्योंको नष्ट किया है। उन्हीं को हमारे मौखिक परंपरा प्रतिरोध करते आये हैं। ये सब प्रतिरोधात्मक विषय इतिहास में दर्ज नहीं हुए है | इन प्रतिरोधों का बहुतसारे विषय मौखिक स्तरपर हमारे सामने अभी भी जीवित हैं। राजधर्म और धर्मराजकारण समाज को नियंत्रण करने के बजाय मिथिकीय भारत ऐसे झूठ बोल रहे है कि आधुनिक भारत को शर्मिंदा हो रहा है। आंशिक विचारों को इतिहास के रूपमे पढ़ाया जा रहा है। आजभी हमारे रामायण, महाभारत लिपियो वालों से आगे बढ रहे हैं। मौखिक स्तर का इन लोक गीतों का स्वरूप बहुरूप मे बहुसंस्कृति धारा से बना आदिवासीयों की यादें हैं। अब आदिवासियों से पूजित रावण को अविनाशी लिपिवालों से बंधित राम के साथ अनुसन्धान करना है। भविष्य के भय को टालने का एक महान शक्ति संस्कृति के शोध से पैदा होना है। जो इतिहास का प्रमाद वर्तमान के लिए आतंक बन जाता है, भविष्य के बारेमें भय निर्माण करता है उन सब को रोकने का बहुत बडी शक्ती खोज से ही पैदा होना चाहिए।

शिष्ट संस्कृति ने आदिवासियों से पूजित रावण, महिषासुर आदि सांस्कृतिक नेताओं को वध कर उन्हें असुर राक्षस के नाम से लिपीबद्ध करके इतिहास में हाशियेपर रखा। इस के वास्तविक खोज का प्रयास अब जोर से चल रहा है। एक पीढी को बनाने में और कई पीढीयों को मिलाने में साहित्य, संस्कृति एवं भाषा के पात्र असाधारण है। उनको खोजने का "समतावादी" तत्व हमे प्रतिपादन करना है। भाषा विज्ञानीयों का मानना है कि गोंडी भाषा द्राविड भाषाओं की जननी है और आदिम कालसे

CORRESPONDING AUTHOR:	RESEARCH ARTICLE
डॉ. के. एम. मैत्री प्राध्यापक जनजातिय अध्ययन विभाग, कन्नड विश्वविद्यालय, हंपी - 583276, कर्नाटक Email: metrykm@gmail.com	

गोंड आदिवासियों की मातृभाषा भी रही है। द्राविड श्रेणी भाषा की कन्नड, तेलुगु, तमिळ और मल्यालम स्वतंत्र भाषा के रूप से उभर कर भारत के संविधान में आठवीं अनुसूची में स्थान हासिल किये हैं। उत्तर द्राविड का कुडुक (ओरांव), माल्लो और ब्राहुईः, मध्य द्राविड का कुयि, कुवि, पेंगु, गदब, कौलामि, कोंड, कोरग, नायिक, पर्जि, कोय, ओल्लारि, मुंड; दक्षिण द्राविड की कन्नड, तेलुगु, तमिळ और मल्यालम और साथ में तोड़, कौत, बडग, कोडगु एवं तुळू भाषायें देशभर में फैली हुई हैं। इन में बहुत सारे भाषायें विनाश के तटपर हैं। अगर यह सभी सामुदायिक भाषायें विनाश हो जाती हैं तो साथ में उन जनों की संस्कृति भी विनाश हो जाती है। इसलिए यह विनाश होने से पहले इन भाषाओं और उन लोगों का अध्ययन करना जरूरी है।

सभी द्राविड भाषाओं में गोंडी भाषा का योगदान कितना होगा इसको समझने के लिए और गोंडी भाषा को सीखने के लिए गोंडवाना गौडी शब्दकोश (Gondwana Gondi Dictionary) उपयोगी होगी। इसी तरह सभी आदिवासी भाषाओं में भी साहित्य संकलन / संपादन करना चाहिये।

मूलनिवासी कोया (गोंड) समूह की उत्पत्ति निसर्ग के योगीक प्रक्रिया के संयुग तत्व (हवा, पानी, अग्नि, धरती, आकाश) से हुई, ऐसा माना जाता है जीव-जन्तु का विकसित रूप ही मनुष्य हैं। मनुष्य की बुद्धि बढ़ने के साथ ही समूह भी बढ़ने लगा। इस विशाल भूखंड में वे अपने समूह के साथ आगे बढ़ने लगे और स्थलांतरित होने लगे। मिथक के अनुसार संयुं खंड में प्रथम नागा-नागिन, बैगा-बैगिन उत्पन्न हुए। संयुं खंड में शंभूद्वीप का सत्ता केंद्र, संयुमेटा पंचवेली के मध्यवेन आंचल, वैनआंचल, पेनआंचल, नारगोदा, गोइन्दारी (गोदावरी), कृष्णा, कावेरी, महानगोदा, शिवनाथ गंगा, यमुना, चम्बल, ब्रम्हपुत्रा के किनारे कोइतूर मानवाल और शंभूद्वीप के मानवाल पुरातन काल से निवासित थे। शंभूद्वीप का मूलवंश कोइतूरियन गोंड, भील, मीन, खरवेल, मुंजाल, सिरसिटवा, वाकाटक, संथाल, नाग, नल, शंख, गांदिग, कलचुरी, पन्ने, चोल ऐसे सातसौं पचास(750) समूह का थे। गुफाकाल, पशुपालन, कृषिकाल और विकास काल में आवास निवास, यातायात, परिवहन जैसी सभी आवश्यकताओं का आविष्कार विश्वभर में हुआ | शंभूद्वीप की शिक्षा, संस्कार और सामाजिक संस्कृति विकास के लिए राजा शंभू, मोहल्लारानी, पहांदी पारी कुपार लिंगो मुठवा गुरु ने गोदूल शिक्षा को वैज्ञानिक पद्धति से संचारित किया। प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन और पर्यावरण को जीवित रखने के लिए इस शंभूद्वीप समूह में 14 भवन का संचार किया, उन्होंने जीवन को कभी खत्म न होने की शैली को जीवित रखने के लिए मानव वंश में कुलगोत्र और पेन (देव) व्यवस्था स्थापित की। शंभूद्वीप में द्रविडियन सभ्यता सम्पूर्ण द्वीप में विकसित हुई। गोत्र-चुम्बकीय तत्व जैसे ऋण - धन के संबंध से होता है। पुरे पुखराल में चुम्बकीय तत्व से उना-पूणा, चुम्बक से ही प्रकाश होगा। आश, धन. अशक्त तत्व पूरे पुखराल में हैं। जो बारह ग्रह में संचारित है। सम-विषम का योग बनता है। सम-सम का नहीं, विषम-विषम का नहीं इस ज्ञान को शंभूशेक, पहांदी पारी कुपार लिंगो के अट्टासी पीढ़ी के लोगों ने कोइतूर मानव को गोदूल के माध्यम से संशोधित किया | शंभूद्वीप के दक्षिण में पन्ने, चोल, खारवेल, कोवे, काकतेय, यादिग, सिरसिटवा, तोडा, वाकाटक, नागवंश, मलवंश, मौर्यवंश ऐसे अनेक वंश का अधिक क्षेत्र में विस्तार हुआ वे शंभूशेक के मानसपुत्र लिंगो के गोदूल संस्कार से द्रविडीयन (दाईके वीर) अपनी मातृसत्ता को जगत में विकसित करने जीवन को संचारित किये। इस शंभूद्वीप का ज्ञान-विज्ञान, तकनिक अपने जीवन को संबंधित और स्थायित्व बनाये रखने के

लिए गोदूल की ज्ञान शिक्षा जन्म से मृत्युतक संस्कार समूह के मुखिया द्वारा निर्धारित किये जाते था। परिवार में भाषा का संचार और समानता के हक से जीवन की गाड़ी को संचालित करने एवं स्वयं उपार्जनकर अपने जीवन को आदर्श बनाना था।

द्रविड भाषाओं में कोईतूर भाषा के शब्दों का भण्डार है। भाषा के शिलालेख गुफा कन्दरा में आज भी मौजूद है। महिशासुर योद्धा के नाम से "मैसूर" स्थान हैं। 14वीं सदी में कोईतूरियन हक्कगोंडा हरिहर राय और बुक्कगोंडा-बुक्कराय राजा हुए जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, अन्नम्मरूद्र काकतेय वंश का और प्रवीरचन्द्र कोवेवंश के विद्वान महानराजा हुए गढ़मंडला के सम्राट संग्रामशाह, देवगढ़ का महानराजा बख्तबुलंदशाह राजावीरशाह, चांदागढ़ का राजाविरशहा और रानी हिराई ने अपने राज्य में कोईतूर भाषा को राज्यभाषा के अनुसार चलाया। इस शम्भूद्वीप में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल और अनेक जगहों पर भित्तिचित्रलिपि में कोईतूर शिलालेख हैं। इस शिलालेख को आर्य, इस्लाम, मुगल, अंग्रेजों ने ईसा के बाद हाशिये पर रखकर किनारा करते गए। बौद्ध काल में कोईतूरों की भाषा 16वीं सदीतक जीवित रही और अपने राज्य शासन की भाषा रही। मुगल और अंग्रेजों ने इसभाषा में हस्तक्षेप नहीं किया बल्कि भारत में अंग्रेजों के मुक्ति संग्राम में इसी कोईतूरों ने इसी भाषा का इस्तेमाल किया। अपनी मातृभाषा का आन्दोलन आजादी के साथ-साथ किये फिर भी हम कोईतूरों को वोह कहा मिलन होस का और दुनिया के विकास की दौड़ में आदिवासी समाज, भाषा, संस्कृति, समाज व्यवस्था तथा शिक्षा की दौड़ में पीछे रह गये। कोईतर भाषा का आन्दोलन, गीतसंगीत, नाटक, लोकसाहित्य पुरे देशभर में विख्यात हो गया, परन्तु भारत के संविधान में कोईतर हाशिये पर हैं। कोईतूरों के छोटे-छोटे राज्य शासन और रियासतों में मौर्यकाल और राजपूतकाल में आदिवासी राज्यों की रियासतें थी। उनमें कोईतर भाषा प्रचलित थी। गोंडवाना, भीलवाड़ा, संधाल परगना, उत्कल, नागालैंड इसके बाद आंध्र, तमिळ, मलयालम, कन्नड़ इन राज्यों की भाषाओं में दक्षिण के तेलगु, तमिळ, कन्नड़, मल्लयालम भाषाओं का विकास हो गया इन चारों भाषाओं में कोईतूर भाषा के अधिकतम शब्द शामिल हैं। भाषा विकास में कोईतूरी (गोंडी) भाषा आजादी के बाद वंचित रह गयी।

गोंड राजाओं ने सन् 1882 में आदिवासी शिक्षा के लिए जबलपुर में राजकुमार कॉलेज खोला। कोईतूर भाषा के जानकार लोगोंने 1917 में मध्य गोंडवाना में समिती बनाकर अपनी सामाजिक और समूहगत संस्कृतिक शिक्षा के लिए प्रयत्न किये। 1932 में अखिल गोंडवाना महासभा की स्थापना कर शिक्षा संस्कृति भाषा के संरक्षण के लिए मध्यप्रदेश में देशभर के कोईतूरों को एकत्रित किया गया। राजा जवाहरसिंह, राजे धर्मराव, उदयभानूसिंह, यादवशाह महाराज, मगरुउड़के, विश्रामसिंह, सत्यनारायणसिंह, धोकलसिंह, भावसिंह मसराम, जयपालसिंह मुंडा, कोमराम भीम, देवसाय आत्राम उटनूर, विश्वनाथराव असिफाबाद, मास्टर मारूसिडाम, गुण्डाराम मसराम, रामचंद्र पाटील, देवीसिंह नेताम, बुढानशाह, डोगेंद्रसिंह, कप्तान लालापुलस्त, मैनसिंह उड़के, पलाशगढ़ जमींदार रणशाह सयाम, गोकुलसिंह, झामसिंह ठाकुर आदि ने महासभा में गोंडी में शिक्षा और स्कूल में गोंडी पढ़ाने हेतु गोंडी शिक्षकों का प्रशिक्षण रखा। कप्तान जयपालसिंह मुंडा के नेत्रत्व में अखिल आदिवासी महासभा के सम्मेलन सन् 1940 में रांची में हुवा, इसमें सारे भारत वर्ष के आदिवासियों की भाषा संस्कृति को मान्यता देने के

लिए भारतीय संविधान में इन्हें रखने के लिए सम्मेलन में प्रस्ताव पास हुआ, 1947 में भारत आजाद हुआ और 1948 में संविधान सभा में इस प्रस्ताव को हाशिये पर रख दिया गया।

"गोंडवाणी" याने गोंडी भाषा | गोंडी भाषा का अपना एक इतिहास है, जो आज भी गोंडी भाषिक समुदाय में पौराणिक जन श्रुतियाँ एवं लोकगीतों के माध्यम से प्रचलित हैं गोंडवाना ये शब्द 'गोर्योदाड' वाणी का अपभ्रंशरूप है, जो गो+गेंद+आडी इन शब्दों के मेल से बना हैं। गोंडी भाषा में 'गो' याने गाँगो अर्थात देव, 'यद याने नृत्य और आड़ी याने वादय गोंड समुदाय के पंचखंड के राजा 'शभुशेक' याने महादेवजी थे, जिनके हाथ में एक डमरु होता है, उसे गोंडी में गोयेंदाडी कहा जाता है। उसी डमरु के बजने की आवाज के स्वरों को पहचानकर गाँडी धर्मगुरु "पहादी पारी कूपार लिंगो" ने डमरु के स्वर व्यंजनों को अपनी जुबान से व्यक्त रूप देकर डमरु की वाणी (गोंयेंदाडी वाणी) को भाषा का रूपदिया, बाद में गोड समुदाय ने उसे अपनी भाषा के रूप में अपनाया डमरु की वही वाणी गोंडी भाषा के रूप में गोड समुदाय में प्रचलित है, जिसे गोंडवानी या गोडीभाषा कहा जाता है। इस संबंध में एक पौराणिक मिथक प्रचलित है कि प्राचीन काल में कुयटरागण खण्ड, पुर्वाकोट गणराज्य के प्रमुख के रूपोलंग नामक पुत्र अपने जनता का हाल हवाल जानने हेतु गणराज्य का परिभ्रमण करने निकलपड़ा | सम्पूर्ण कुयटागण का परिभ्रमण करते करते वह पुर्वाकोट संभाग जा पहुंचा। निरंतर परिभ्रमण से वह थकचुका था। अतः पेनगोदा नदी के किनारे अपने "गिदाल कोड़ा वाहन को नदी मे जल पिलाकर चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं नदी किनारे जो बहुत बड़ा लकड़ी का गोला पड़ा हुआ था उसपर विश्राम करने लेटगया। थका होने की वजह से उसे गहरी नींद लग गई। वह ज्येष्ठ माह का समय था ठीक उसी वक्त पेनगोदा नदी के उत्तरी छोरंपर भीषण वर्षा होने से उस नदी को महाबाढ़ आ गई। जिससे वह लकड़ी के गोले के साथ बह गया। जब लकड़ी का गोला हिलने-डुलने लगा तब उसकी नींद खुल गई उसने डर के मारे गोले को मजबूती से पकड़लिया और हिम्मत के साथ उस पर सवार होकर अपने दोनों हाथों से इधर-उधर पानी काटते हुए उस लकड़ी के गोले को नदी किनारे ले जाने का प्रयास करते रहा।

उस वक्त पंचखंड व्दिप (सिंगार व्दिप) के राजा संभुशेक अपनी अर्धांगिनी गौरा के साथ अमुरकोट (अमरकंटक) के पश्चिमी संभाग के दौराकर पेनगोंदा (पेनगंगा) नदी किनारे पहांदी पेड के निचे छांव मे बैठकर विश्राम करते हुए नदी मे आये भयानक बाढ़ का दृश्य देख रहे थे, जो अचानक आ गई उस बाढ़ में एक युवक विशालकाय लकड़ी का गोलेपर सवार होकर अपने आपको बाढ़ की तेज बहाव से बचाता हुआ संभुशेक को दिखाई दिया। उस युवक को बाढ़ से किस तरह बचाया जाये, इसपर वह सोचनेलगे। युवक पानी को पार करते हुए गोले को नदी किनारे की ओर मोड़ने में सफल होचूका था | वह गोले के साथ पहांदी पेड पर पहुँच गया। किन्तु उसी वक्त उसके सामने बहते पानी का बहुत बड़ा भंवर निर्माण हुआ। उस युवक ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाप मारकर नष्ट करने का असफल प्रयास किया किन्तु उसके हाथ भँवर तक नहीं पहुँच पाए | वह गोला जिसपर रूपोलंग सवार था भंवर की कक्षा में आ गया। उस दृश्य को देखकर संभुशेक को कुछ समझ नहीं आया। आनन-फानन में पैर के पास पड़ा हुआ पत्थर उसने उठाया और भंवर की दिशा मे फेंकमारा ताकी वह मिट जाये पहांदी पेड की टहनियां नदी के अन्दर तक लटक रही थीं। फैंका गया पत्थर भंवरपर गिरने के बजाय टहनियों से जा टकराया, जिसके कारण पहांदी पेड का

एक फूल टूटकर भंवरपर जा गिरा। बहते पानी का भंवर ऐसा होता है की उसके मध्य में हलकासा थाप भी पडजाये, तो वह मिटजाता है। फूल का थाप भंवर पर पड़नेसे वह मिट गया, किन्तु वह युवक जो गोले पर सवार था भंवर की कक्षा में आने से घबरा गया और गोला डगमगाजाने से अपना संतुलन गवां बैठा तथा जहा भंवर था वही पानी में गिर गया। उसे बाहर निकालने के लिए संभुशेक तुरंत नदी में कूद पड़े और उसे पकड़कर बाहर ले आये। उसे समतल जमीनपर लिटाकर उसके पेट में, डुबकियां खानेसे जो पानी भरा था उसे दबदबाकर बाहर निकलवाया। उस युवक की धमनिया चल रही थी, किन्तु वह अचेत अवस्था में था। उसे होशमें लाने के लिए संभुशेक ने हरप्रयास किया, परन्तु उसकी अचेत स्थिति ज्योंकी त्योबनी रही। अंत में संभुशेक ने अपना डमरू (गोयँदाडी) उसके कान के पास लेजाकर बजाना आरम्भ किया। डमरू की ध्वनि जैसे-जैसे उसके कानों में गूँजते गई वैसे वैसे उसकी चेतना लौट आते गई। डमरू की वाज के स्वर-ध्वनियों को समझकर वह ठीक वैसाही उच्चारण अपनी जुबान से करते रहा सर्व प्रथम संभुशेक की डमरू से अडंग, अडांग, इडंग, इडांग, उडंग, उडांग, एडंग, एडांग, ओडंग, औडांग, अमडंग, अहडांग इन सूरौका ज्ञान प्राप्त हुआ, जिनका उच्चारण उसने अपनी जुबान से अरं, अरां. इरं, इरा. रं. उरां, एरं. एरा, ओर ओरां, अम. अहा करके व्यक्त किया। तत्पश्चात डमरू की आवाज से उसे कडंग, खडंग गईंग घडंग अंगडा, चडंग, छडंग, जडंग, झडंग जंगडा, तडंग, थडंग, दडंग, धडंग, नंगडा, पडंग फडंग, बडंग, भडंग, मंगडा, यडंग, लडंग, वडंग, शंगडा, षडंग, सडंग, हडंग, डंग, जंग, जंग ऐसे कुल छतीस ध्वनियों का बोध हुआ, जिनका उच्चारण कन, खन गन, धन, अंग, चन, छन, जन, झन, यंग इसतरहकर सभी छतीस ध्वनियों को उसने व्यक्त रूप दिया इसके अतिरिक्त डमरू की आवाज से उसे एक से दसतक उडुंग, रंडुंग, मुडुंग, नांडुंग, संडुंग, सांडुंग, येडुंग, अडुंग, नडुंग, पडुंग ऐसी गिनती करने की ध्वनियों का बोध हुआ, जिनको उण्दी, रण्ड, मुण्ड, नालुंग, सयुंग, सारंग, येरंग, अरुंग, नरुंग, पद ऐसा उच्चारण व्यक्त किया ।

जब संभुशेक की डमरू की आवाज से उस युवक को डमरू (गोयँदाडी) वाणी के संपूर्ण स्वर-ध्वनियों का ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उसकी चेतना पूर्ण रूपसे लौट आयी और वह उठकर खड़ा हो गया उस युवक की बौद्धिकशक्ति को देखकर संभुशेक ने उसे "पहांदी लिंगो" के नाम से संबोधित किया। पहांदी फूल से उसे जीवनदान प्राप्त हुआ, इसलिए उसे पहांदी पुत्र और गोर्यदाडी (डमरू) की लैंग (आवाज) को समझकर उसे लम्बेज (भाषा) के रूप में व्यक्त किया, इसलिए लिंगो कहा गया। गोंडी में लिंगो का अर्थ भाषा ज्ञानी होता है। आगे चलकर पहांदी लिंगोने गोयँदाडी के सूरों से गोर्यदाडीवाणी के सर्वनामों की रचना की जैसे अरं से जाना(मैं), अरां से आमाट (हम), इरे से इमा (तू), इरा से ईमाट (तुम), उरं से उद (वह स्त्री. लि.) एरं से एर (यह), एरां से ऐक (ये), औरं से और (वह) ओरां से ओर्क (वे) आदि सर्वनाम बनाकर गोर्यदाडीवाणी को विकसित किया । तत्पश्चात उसने अपनी तपसाधना से गोडी पुनेम (गोंडी धर्म) की संस्थापना की और उसका प्रचार एवं प्रसार गोयँदाडीवाणी से कुयटा गणखण्ड के सभी गणराज्यों की जनता में किया, यही गोंड समुदाय में मातृभाषा के रूप में प्रचलित (कंगाली मोतीराम 1989:63-9)

गोंडी भाषा भारत के आदिवासियों की भाषाओं में प्रमुख स्थान रखती है, मध्य भारत में इसे संपर्क भाषा के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ गोंडी विद्वानों का मत है कि गोंडी देश की सबसे पुरातन भाषा है और द्रविड़ भाषाओं की जननी है। इस में कन्नड़, तेलगु, तमिळ, मलयाळम ये भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं सूचि में सम्मिलित हैं | जब कि ब्राहुई. माल्लो, कुरुख,

गोंडी, परजी, मुंडा, पेंगो, कुई, कुवि कौड, गदबा नाइकी, बडग, तोडा, तुळू, कोडवा, कोता, इरुळा ये बोली भाषाएँ 8वी अनुसूची में सम्मिलित नहीं हुई हैं। गोंडी भाषा के पुरातन होने का प्रमाण देते हुए विद्वानों ने हड़प्पा लिपि को ही गोडी लिपि कहा है। परन्तु शिक्षा और प्रसार के अभाव में गोंडी भाषा के शब्द विभिन्न राज्यों की स्थानीय भाषाओं के सामने दब गए। इन्हीं कारणों से मूल गोंडीभाषा आज "तेलगु गोंडी" के रूप में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उड़िया गोंडी "उड़ीसा", हिंदी गोंडी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मराठी गोडी महाराष्ट्र तथा कन्नड गोडी कर्नाटक में बोलीजाने लगी है। सन् 2011 के जनगणना के अनुसार गोंडीभाषी लोगोंकी संख्या (27,13,790) दोरली गोडी (37,731), गोंडी (2,505,247) कलारी गोंडी (26,797), मरिया गोंडी (88,984), मुरिया गोंडी (16,620) अन्य (38,411) कोयाभाषी लोगोंकी संख्या 3,62,070 आकीगई, कुलमिलाकर गौडीभाषी लोगों की संख्या 30,75,860 इतनी लेकिन! ये संख्या ज्यादा भी हो सकतीहैं।

दक्षिण भारतीय द्रविड परिवार की भाषाओं का अध्ययनकर तुलनात्मक व्याकरण लिखनेवाले जर्मन भाषाविद राबर्ट कोल्डवेल के अनुसार गोंडी भाषा एक मूल द्रविड़ भाषा है, क्यों कि उस में दक्षिण द्रविड़ भाषाओं के विशेष लक्षण के अतिरिक्त पूर्व प्राचीनता दर्शक भिन्न अभिलक्षण भी पाए जाते हैं। इसलिए गोंडी भाषा यह आदय द्रविड़ भाषा है।

गोंडी भाषिक विशेषताएँ:

1. गोंडी भाषा यह आदय द्रविड़ भाषा है। गौडीभाषा यह द्रविड परिवार की भाषा होनेपर भी दक्षिणी द्रविड़ भाषाओं से बिलकुल अभिलक्षणवाली स्वयंपूर्ण भाषा है। गोंडी भाषा यह शब्दमूल का ही नहीं बल्कि ध्वनिजन्य आदिम भाषा है।

2. गोंडी भाषा में प्रचुर मात्रा में मूल रूप ग्राम प्रचलित होने के साथ-साथ व्याकरणिक संरचना से भी यह परिपूर्ण है।

भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या: गोंड आदिवासी समुदाय बेतवा, केन, तमस, नर्मदा, पेनगंगा, वैनगंगा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, सोन, इन्द्रावती, गोदावरी आदि नदी परिसर, ओडिशा की पर्वतीयमाला, विंध्य और सतपुड़ा, में कलपर्वत की पर्वतीय श्रृंखला में

गोंडीभाषा बोली जाती है। The first kingdom of Kerala, which is known in the history of Kerala as the Chera Empire, was constituted as a confederation of seven branches of the Chera race. In the 3rd century BC, it was founded by the predecessors of the Kurumar Kurumbar tribe of Wayanadu region. They represent the food gatherers of the pre-agriculture stage. Dr. B.R. Ambedkar is of the view that the founders of the Chera kingdom were a sub-division of the Nagas, who traveled southwards from the North-West region of an Asia and in a later stage were called Gonds, the founders of Gondwana Empire in the Deccan region. It should be remembered that the Deccan region was very much habitable for both the food gatherers and the settled agriculturists. Later, a branch of them moved to peninsular India and a group of them settled in the hill ranges and valleys of the Western Ghats in the Arabian seashore (Dr. R. Gopinathun Vanyajati July 2011:11) प्राध्यापक

आर गोपिनाथन जी का कहना है की केरल के प्रथम शासक चैरा थे। जिनका शासन इसापूर्व तिसरी सदी में सात गणों में फैला हुआ था | वे दयनाडू के कुरुमर / कुरुम्बर (कोया) आदिवासी के वंशज थे। डॉ बी आर अंबेडकर के मतानुसार चैरा राजवंश मूलतः नागवंशी थे। जो आशिया खंड के उत्तर-पश्चिमी दिशा से चलकर दक्खन क्षेत्र में आये और गोंडवाना साम्राज्य की स्थापना की और कालांतर में गोंड कहलाए। बाद में वे पश्चिमी घाटी और अरबसागर के तट तक फैल गये | आज भी करावली कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिला और हैदराबाद-कर्नाटक दक्कन प्रदेश में गोंड आदिवासी पाए जाते हैं ।

"मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बोलियों पर सामग्री जुटाने का काम उन्नीसवीं सदी से प्रारम्भ हो गया था | इलियटने सन् 1847 में गोंडी की शब्दावली प्रकाशित की उसी साल में ओ. मोगोर ने शिवनी तथा छपारा में संयुक्त गोंडी के नमूने संकलित किये| सन् 1866 में विलियमसन ने मंडला की गोंडी के व्याकरण व शब्दावली पर ग्रन्थ लिखा | सन् 1865 से 1867 तक मंडला की पारसौ बोलीपर डासन तथा विलियमसन ने बाईबल का अनुवाद किया। केम्पबेल, हिस्लॉप तथा याल ने भी सन् 1866 में गोंडी बोली के शब्दों का संकलन किया। सन् 1871 में फ़ोर्सार्थ ने लिंगो की वीरगाथा को संकलित किया। सन् 1873 में छिंदवाड़ा की गोंडी बोली में बाईबल का अनुवाद हुआ। सन् 1920 में रायबहादुर हीरालाल ने गोंडी तथा माडिया की विवाह गाथाओं का वैज्ञानिक रूपसे ग्रामोफ़ोन रिकॉर्ड किया गोंडी बोली का एक व्याकरण तथा शब्दकोश पादरी फैलबूस ने सन् 1925 लिखी जो नागपुर में छापी।

आज भी गोंड समुदाय भारत के 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। आंध्र प्रदेश, अस्सम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, तमिळनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान इत्यादि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में गोंड समाज फैला हुआ है। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलो में गोंड समाज अनुसूचित जाती और अस्सम, पांडिचेरी में पिछड़ा वर्ग में पाए जाते हैं। दिल्ली, राजस्थान, तमिळनाडु इत्यादि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में गोंड समाज किसी भी यादि में दर्ज नहीं हुए। बहुत से राज्यों में गोंड समाज को अलग अलग यादि और अलग अलग क्रमांक में रखा गया है। उसमें गोंड जनजाति के अनेक प्रजातियों के नाम विनिर्दिष्ट हैं। इससे यह स्पष्ट है कि गोंड एक विशेष जनजाति का नाम नहोकर अनेक प्रजातियों का समुदाय है, जिसकी मातृभाषा गोंडी है" (आत्राम व्यंकटेश: 1989:129)|

भारत की अदिवासिये में सब से अधिक संख्या में गोंड पाए जाते हैं | सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के विविध राज्यों के गोंड समाज के पुरुष (1,47,05,196) और स्त्री (1,47,78,002) की संख्या कुलमिलाकर 2,94,83,198 इतनी दर्ज हुई जो गोंड समाज की जनसंख्या प्रत्येक राज्योंमें निम्न रूपसे दर्ज की गई है।

भारतीय गोंड जनजाति की जनसंख्या (2011)					
राज्य	जनजाति	कु/ग्रा/न	जनसंख्या		
			कुल	पुरुष	स्त्री
आंध्र प्रदेश	गोंड, नाईकपोड, राजगोंड, कोडतर	क	3,04,537	1,50,193	1,54,344
		ग्रा	2,88,339	1,42,393	1,45,946
		न	16,198	7,800	8,398
	कोलाम, कोलवार	कु	44,912	22,534	22,378
		ग्रा	44,005	21,984	22,021
		न	907	550	357
	कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कम्मारा कोया, मुसारा कोया, ओडडी कोया, पट्टीडी कोया, राजा, राशा कोया, लिंगधारी कोया (आर्डिनरी), कोट्टू कोया, भीने कोया, राज कोया	कु	5,90,739	2,89,025	3,01,714
		ग्रा	5,58,826	2,73,280	2,85,546
		न	31,913	15,745	16,168
	परधान	कु	24,823	12,477	12,346
		ग्रा	17,106	8,684	8,422
		न	7,717	3,793	3,924
	थोटी (आदिलाबाद, हैद्राबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मेदक, नलगोंडा, निजामाबाद और वरंगल जिलों में)	कु	4,811	2,308	2,503
		ग्रा	3,490	1,675	1,815
		न	1,321	633	688
बिहार	गोंड	कु	2,56,738	1,29,927	1,26,811
		ग्रा	2,40,433	1,21,345	1,19,088
		न	16,305	8,582	7,723
छत्तीसगढ़	गोंड, अरख, आरख, अंगरिया, असुर, बडी मारिया, बडा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोइलाभुता, कोइलाभूती, भार, विसोनहार्न मारिया, छोटा मारिया, दण्डामी मारिया, धुरू, धुर्वा, धौवा, टुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा-गट्टी, गायता, गोंड, गंवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोडतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, मांडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोध्या, मोंगिया, मोधिया, मुडिया, मुरिया, नगारची-नागवंशी, ओझा, राजगोंड, सोन्झारी, झरेका, थोटिया, थोटिया, वाडे-मांडिया, बडे मांडिया, दरोई	कु	42,98,404	21,20,974	21,77,430
		ग्रा	39,87,170	19,64,718	20,22,452
		न	3,11,234	1,56,256	1,54,978
	कोलाम	कु	402	210	192
		ग्रा	324	163	161
		न	78	47	31
	मांडी	कु	65,027	32,739	32,288
		ग्रा	60,620	30,462	30,158
		न	4,407	2,277	2,130

	मझवार	कु	55,320	27,613	27,707
		ग्रा	53,468	26,685	26,783
		न	1,852	928	924
	परधान, पठारी, सरोती	कु	11,111	5,479	5,632
		ग्रा	8,731	4,322	4,409
		न	2,380	1,157	1,223
गुजरात	गोंड, राजगोंड	कु	2,965	1,593	1,372
		ग्रा	1,121	599	522
		न	1,844	994	850
झारखण्ड	गोंड	कु	53,676	26,925	26,751
		ग्रा	43,640	21,706	21,934
		न	10,036	5,219	4,817
कर्नाटक	गोंड, नाईकपोड, राजगोंड	कु	1,58,243	80,691	77,552
		ग्रा	1,41,678	72,208	69,470
		न	16,565	8,483	8,082
मध्य	गोंड, अरख, आरख, अंगरिया, असुर, बडीमारिया, बडामारिया,	कु	50,93,124	25,49,973	25,43,151
प्रदेश	भटोला, भीमा, भुता, कोइलाभुता, कोइलाभूती, भार, विसोनहार्न मारिया, छोटा मारिया, दण्डामी मारिया, धुरू, धुर्वा, धौवा, दुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा-गट्टी, गायता, गोंड, गंवारी, हिलमारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचामारिया, कुचाकी मारिया, मांडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोध्या, मोंगिया, मोधिया, मुडिया, मुरिया, नगारची-नागवंशी, ओझा, राजगोंड, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोटिया, वाडे-मांडिया, बडे मांडिया, दरोई	ग्रा	47,71,717	23,86,602	23,85,115
		न	3,21,407	1,63,371	1,58,036
	कोलाम	कु	224	112	112
		ग्रा	163	85	78
		न	61	27	34
	मांडी	कु	50,655	26,513	24,142
		ग्रा	17,270	9,142	8,128
		न	33,385	17,371	16,014
	मझवार	कु	443	226	217
		ग्रा	95	55	40
		न	348	171	177
	परधान, पठारी, सरोती	कु	1,23,742	62,189	61,553
		ग्रा	1,04,609	52,594	52,015
		न	19,133	9,595	9,538

महाराष्ट्र	गोंड, राजगोंड, अरख, आरख, अंगरिया, असुर, बादीमारिया, बड़ामारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोइलाभुता, कोइलाभूती, भर, विसोनहार्नमारिया, छोटा मारिया, दण्डामी मारिया, धुरू, धुर्वा, धौवा, धूलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गायता, गोंडगंवारी, हिलमारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचामारिया, कुचाकी मारिया, मेडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोघ्या, मोंगिया, मोधिया, मुडिया, मुरिया, नगारची, नाईकपोड, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्झारीझरेका, थाटिया, थोटिया, वेड मारिया, बडे मांडिया	कु	16,18,090	8,18,955	7,99,135
		ग्रा	13,69,960	6,91,076	6,78,884
		न	2,48,130	1,27,879	1,20,251
	कोलाम, मन्नेरवारलू	कु	1,94,671	98,319	96,352
		ग्रा	1,62,825	82,164	80,661
		न	31,846	16,155	15,691
	कोया, भिने कोया, राज कोया	कु	388	209	179
		ग्रा	58	36	22
		न	330	173	157
	परधान, पठारी, सरोती	कु	1,45,131	73,575	71,556
		ग्रा	1,09,731	55,686	54,045
		न	35,400	17,889	17,511
ओडिशा	गोंड, गोंडो, राजगोंड, मारिया गोंड, धूरगोंड	कु	8,88,581	4,38,624	4,49,957
		ग्रा	8,65,248	4,26,578	4,38,670
		न	23,333	12,046	11,287
	कोया, गुम्बा, कोया, कोइतर कोया, कमार कोया, मुसारा कोया	कु	1,47,137	71,014	76,123
		ग्रा	1,45,878	70,281	75,597
		न	1,259	733	526
उत्तराखंड	गोंड (SC)	कु	3,143	1,718	1,425
		ग्रा	1,935	1,035	900
		न	1,208	683	525
उत्तर प्रदेश	गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पाथरी, राजगोंड, (महाराजगंज,	कु	5,69,035	2,89,499	2,79,536
		ग्रा	5,31,006	2,69,554	2,61,452
	सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपूर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र)	न	38,029	19,945	18,084
		कु	21,992	11,862	10,130
	गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपूर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों को छोड़कर) (SC)	ग्रा	13,048	6,898	6,150
		न	8,944	4,964	3,980
		कु	13,535	7,122	6,413
	पश्चिम बंगाल	गोंड	ग्रा	7,353	3,778
न			6,182	3,344	2,838
कु			6,182	3,344	2,838
कु=कुल; ग्रा=ग्रामीण; न=नगर					

चरित्रात्मक गोंडवाना जो मध्य भारत में था, भाषा पर आधारित राज्य बनने के कारण ये क्षेत्र विभिन्न राज्यों में बंटगया और गोंडी को मुख्य धारा की भाषा न मानते हुए केंद्र और राज्य सरकार हमेशा से आदिवासी भाषाओं को अनदेखा करती रही। 60साल से ज्यादा इन गैर गोंडी भाषाक्षेत्र में रहने के कारण विविध राज्यों में बंटचुके गोंड समाज के लोगों को अपनी भाषा छोड़कर गैर आदिवासी क्षेत्रों की मुख्यधारा की बोलीभाषा को सहना और सीखनापड़ा। मानक गोंडी न मानने के कारण इतने सालों बाद भी इन विविध क्षेत्रों में बंटचुके लोगों में एक भाषा-भाषी होनेके बावजूद आपसी संपर्क नहीं बनाया हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस के प्रचार प्रसार और "मानक गोंडी भाषा" हेतु विविध राज्यों के गोंडी भाषा के जानकार और विशेषज्ञों के माध्यम से भाषा के मानकीकरण के कार्य किया गया है। इसके फलस्वरूप "गोंडवाना गोडी शब्दकोश" रचना की गई है। इसी तरह सभी आदिवासी भाषाओं की योगदान होनी चाहिये। साथ ही सभी आदिवासी भाषाओं का मुख्य उद्देश्य निम्न रूपसे होना चाहिये:

1. सभी आदिवासी अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा को बचाना और प्रसार करना।
2. सभी आदिवासी भाषा को भारतीय संविधान की 8वी अनुसूची में शामिल कराना।
3. सभी आदिवासी बहुल क्षेत्र में प्राथमिक स्तर की शिक्षा में अपनी सभी आदिवासी माध्यम की शिक्षा को संचारित कराना।
4. कुछ क्षेत्रों में जहा आदिवासी समाज तो है पर आदिवासी भाषा अपभ्रंश है वह आदिवासी भाषा का प्रसार प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से कराना।

भारत संविधान की 8वीअनुसूची में प्रादेशिक भाषाएं अपनी स्थान पाने के लिए अनुच्छेद 346 और 347 में प्रावधान निम्न प्रकार है। भारत संविधान के अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं इसके अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं इसको संबंधित है। अनुच्छेद 346 और 347 उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य या विधान-मंडल, विधिद्वारा उस राज्य में प्रयोग होनेवाली भाषाओं से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उसके सभी या किन्ही शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जानेवाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा | परन्तु जब तक राज्य का विधान मंडल, विधिद्वारा अन्यता उपबन्ध न करे तबतक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 347 किसी राज्य को जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जानेवाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध यदि इस्निमित मांग किए जाने पर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है की किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है की उसके द्वारा बोली जानेवाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वहा निर्देश दे सकेगा की ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसी प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

भारत संविधान की 8वी अनुसूची में आजतक अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 के मुताबित 22 भाषाएं उपलब्ध हैं। इस सूची में और 38 प्रादेशिक भाषाएं प्रवेशपाने के लिए अर्ह हैं।

वे इस प्रकार हैं (1) Angika, (2) Banjara (3) Bazika (4) Bhojpuri (5) Bhoti, (6) Bhotia, (7) Bundelkhandi (8) Chhattisgarhi, (9) Dhatki, (10) English, (11) Garhwali (Pahari), (12) Gondi, (13)Gujjar/Gujjari (14) Ho, (15)Kachachhi, (16) Kamtapuri, (17) Karbi. (18) Khasi, (19) Kodava (Coorg), (20) Kok Barak, (21) Kumaoni (Pahan), (22) Kurak. (23)Kurmali, (24) Lepcha, (25) Limbu, (26) Mizo (Lushai), (27) Magahi, (28) Mundari, (29)Nagpuri (30) Nicobarese, (31) Pahari (Himachali), (32) Pali, (33) Rajasthani, (34) Sambalpuri/Kosali, (35) Shaurseni (Prakrit). (36) Siraiki, (37) Tenyidi and (38) Tulu.

A Committee was set up in September, 2003 under the Chairmanship of Shri.Sitakant Mohapatra to evolve a set of objective criteria for inclusion of more languages in the Eighth Schedule to the Constitution. The Committee submitted its report in 2004. The report of the Committee is under consideration in consultation with the concerned Minorities Departments of the Central Government. A decision on the pending demand for inclusion of languages in the Eighth Schedule will be taken, interalia, in the light of the recommendations of the Committee and Government's decision thereon. However, no time frame can be fixed for consideration of the demands for inclusion of more languages in Eighth Schedule to the Constitution of India.

सभी आदिवासी भाषिक चिन्तक अपनी भाषा को भारत संविधान की 8वी अनुसूची में लाने के लिए एक जुट हो के अपनी मांग भारत सरकार के सामने रखनी चाहिए। फलस्वरूप आदिवासी भाषाये 8वी अनुसूचि में स्थान पा सकते हैं।

संदर्भ सूची:

- 1) आत्राम व्यंकटेश, गोंडी संस्कृतीचे संदर्भ (वर्धा: सुधीर प्रकाशन, 1989, पुनरावृत्ति, 2007)
- 2) मेत्री के. एम. (सं), गोंडवाना गोंडी शब्दकोश (हंपि: कन्नड विश्वविद्यालय, 2017)
- 3) http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_Data_Online/Language/Statement1.aspx

